न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA001GanpatSingh Vs LRs of Jabbarsingh etc

गणपतसिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत
निवासी बडला बासनी, तहसील ओसिया
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. जब्बरसिंह पुत्र फतेहसिंह राजपूत के कायममुकामान --
   a. संतोषसिंह पुत्र स्व. जब्बरसिंह राजपूत
   b. श्रीमती धापूकंवर पत्नी स्व. जब्बरसिंह राजपूत
      निवासी ग्राम बडला बासनी, तहसील ओसियां
      जिला जोधपुर
2. सवाईसिंह पुत्र फतेहसिंह राजपूत
3. बख्तावरसिंह पुत्र फतेहसिंह राजपूत
4. रेंवतसिंह पुत्र फतेहसिंह राजपूत
5. भोपालसिंह पुत्र अभेसिंह राजपूत
6. मानसिंह पुत्र अभेसिंह राजपूत
7. अनोपसिंह पुत्र अभेसिंह राजपूत
8. माधोसिंह पुत्र अभेसिंह राजपूत
9. स्व. कानसिंह के कायममुकामान --
   a. विजयसिंह पुत्र स्व. कानसिंह
   b. श्रीमती हरकंवर पत्नी स्व. कानसिंह
10. दलपतसिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत
11. मदनसिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत
    निवासीगण ग्राम बडला बासनी, तहसील ओसियां
    जिला जोधपुर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां

----- रेस्पों.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 16 जून 2016 राजस्व वाद संख्या 169/2011 गणपतसिंह व अन्य बनाम जब्बरसिंह इत्यादि

----- 0 -----

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5 व 6
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 7 व 8
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 12
अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 30.12.2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 169/2011 गणपतसिंह व अन्य बनाम जब्बरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16 जून 2016 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01 जनवरी 2018 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण - अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या दस व ग्यारह ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम बडला बासनी तहसील ओसिया स्थित आराजी खसरा संख्या 107 रकबा 9 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 118 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 129 रकबा 37 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 25 रकबा 67 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 118 बीघा 19 बिस्वा के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश कर वादग्रस्त आराजियात में वादीगण को ⅓ हिस्से बाबत खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन किये जाने और स्थायी निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की डिकी बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 09 सितम्बर 2011 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रकरण जबाब एवं बहस हेतु विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 24 अगस्त 2015 को राजीनामा पेश हुआ। मगर आगे तारीख पेशी जबाब एवं बहस हेतु ही दी गयी। तदनुसार जबाब एवं बहस हेतु प्रकरण तारीख पेशी में चलने के दौरान दिनांक 16 जून 2016 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली लोक-अदालत/कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र घेवडा में पेश होना तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 10 सीपीसी का जबाब पत्रावली में संलग्न होना उल्लेखित करते हुए अंकित किया है कि .... प्रार्थी ने पूर्ववर्ती वाद के खारिज होने से रेसज्युडिकेटा से प्रभावित होना बताया है, परन्तु पूर्ववर्ती वाद का निर्णय अदम पैरवी में हुआ है न कि मेरिट पर। अतः रेसज्युडिकेटा लागू नहीं होता है, प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उक्त निर्णय के खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात डूंगरसिंह, मूलसिह, अनाडसिंह, मगसिंह पिसरान बन्नेसिंह के नाम से थी, मूलसिंह जूंजारसिंह के दत्तकपुत्र थे तथा दत्तकपुत्र होने के नाते खसरा संख्या 36, 140 व 20 की भूमि जो जूंजारसिंह के नाम दर्ज थी, मूलसिंह खोळे जूंजारसिंह के नाम दर्ज हो गयी जिस कारण मूलसिंह के प्राकृतिक पिता बन्नेसिंह की खातेदारी भूमि में मूलसिंह का कोई हक-हिस्सा नहीं रहा, किन्तु सहवन से बन्नेसिंह की भूमि में भी मूलसिंह का नाम दर्ज हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया। बन्नेसिंह के देहान्त के बाद उनके पुत्र डूंगरसिंह, अनाडसिंह व मगसिंह का ही उनकी खातेदारी भूमि पर हक-हिस्सा रहा, मूलसिंह का कोई हक-हिस्सा नहीं रहा, इस कारण वादीगण का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा बनता है और इसी अनुसार दावा प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16 जून 2016 प्रार्थनापत्र के जबाब व बहस के स्तर पर ही खारिज कर दिया, जबकि मूल वाद में जबाब पेश होना भी बाकी था। राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही इकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। विलम्ब के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसकी अनुपस्थित में अपीपलाधीन निर्णय लोक अदालत कैम्प में पारित किया गया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की जानकारी अपीलाण्ट को समुचित समय में नहीं हो पायी। हाल ही में रेस्पो. द्वारा अपीलाण्ट को उसके कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने की धमकी दी गयी, जिस पर अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता के जरिये पता करवाया तो मामले में निर्णय हो जाने की जानकारी हुई, जिस पर 11 दिसम्बर 2017 को नकल हेतु आवेदन किया, 20 दिसम्बर 2017 को नकल प्राप्त हुई, अधिवक्ता द्वारा पढ कर सुनाये जाने पर अपीलाधीन निर्णय बाबत विधिवत जानकारी हुई। तब अपीलाण्ट जोधपुर आया और अधिवक्ता नियुक्त कर जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद पेश कर दी गयी। साथ ही भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। पूर्ववर्ती वाद गुणावगुण की बजाय अदम हाजरी मे खारिज किया गया था, अतः मामले में रेसज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आधोपान्त अवलोकन किया गया।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम मय शपथपत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील का निस्तारण मियाद जैसे तकनिकी बिन्दु की बजाय गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि मूल वाद विचाराधीन रहने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17 अप्रेल 2013 को प्रतिवादीगण संख्या 5 से 8 की ओर से आदेश 10 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि पूर्व में वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात के संबंध में प्रतिवादीगण के खिलाफ एक दावा इसी न्यायालय के समक्ष 24 दिसम्बर 1999 को पेश किया गया, जो बतौर वाद संख्या 383/99 तत्पश्चात वाद संख्या 188/2002 दर्ज किया गया, जिसका निर्णय 31 मई 2005 को कर दिया गया था अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य इसी आराजियात बाबत एक दावा चल चुका है। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय दिनांक 31 मई 2005 को आदिनांक किसी भी सक्षम न्यायालय से अपास्त नहीं करवाया गया है।

अपीलाधीन आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रार्थनापत्रो का खारिज किया गया जिसके परिणामस्वरूप वादी का वाद कतई खारिज नहीं होता है, इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपने आप में विरोधाभासी पाया जाता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के अनुसार रेसज्युडिकेटा लागू नहीं होने के कारण प्रार्थनापत्र जो कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया, खारिज योग्य पाया जाता है। उस स्थिति में दावा चलने योग्य रहता है। वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र दोनों ही खारिज नहीं किये जा सकते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16 जून 2016 संशोधित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 5 से 8 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है और वादीगण के वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर आगे वाद विचाराण की प्रक्रियागत कार्यवाही जारी रखे जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 30/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर